Title: Motion for election of members to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

डॉ. ्सत्यनाराण जटिया (उज्जैन) : महोद्य, मैं प्रस्ताव करता हूँ :- "कि इस ्सभा के ्सद्स्य लोक ्सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति ्से 1 मई, 2005 ्से आरंभ होने ्वाली और 30 अप्रैल, 2006 को ्समाप्त होने ्वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ्संबंधी ्समिति के ्सद्स्यों के ्रूप में कार्य करने के लिए अपने में ्से ब्ीस ्सद्स्य निर्वाचित करें"MR. SPEAKER: The question is:That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty members from among themselves to serve as members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2005 and ending on the 30th April, 2006."

The motion was adopted.

डॉ. ्सत्यनाराण जटिया (उज्जैन) : महोद्य, मैं प्रस्ताव करता हूँ :--

"कि ्यह ्सभा राज्य ्सभा ्से सिफारिश करती है कि ्वह 1 मई, 2005 ्से आरंभ होने ्वाली और 30 अप्रैल, 2006 को ्समाप्त होने ्वाली अवधि के लिए इस ्सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण ्संबंधी ्समिति के ्साथ ्सहयोजित होने के लिए राज्य ्सभा ्से दस ्सद्स्य नामनिर्दिट करने के लिए ्सहमत हों तथा राज्य ्सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिट ्सद्स्यों के नाम इस ्सभा को ्सूचित करें। "

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May, 2005 and ending on the 30th April, 2006 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

———